तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.9.19	पत्रावली पेश/वकील पक्षकार उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। हस्ब नकल जमाबंदी राज ग्राम टीबियावेरी ख.नं. 225/2.25, 223/0.01, 224/0.05, 292/0.13, 294/0.27, 234/1.51 भूमि अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण का कथन है, कि उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज थी, जिसे अप्रार्थीगण ने धोखे से प्रार्थीगण से अपने पक्ष में रजि० रिलीजडीड करवा ली है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है, कि रिलीजडीड वैधानिक है रजिस्टर्ड है तथा सिविल कोर्ट के द्वारा ही निरस्त की जा सकती है। चूंकि उक्त तथ्य साक्ष्य का विषय है, जिस पर इस स्तर पर विवेचना किया जाना उचित नहीं है। हस्ब राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज नहीं है अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है। वादग्रस्त उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह तय किया जा सके कि वादग्रस्त भूमि पर उनका सेटल्ड पजेशन है। जब तक विपरीत तथ्य पेश नहीं किये जाते तब तक भूमि के अभिलिखित [signature]	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदार को भी कब्जा माना जावेगा यदि प्रार्थीगण के कथनानुसार भी प्रतिपक्षीगण को भूमि के उपयोग से वंचित किया जाता है, या निरुद्ध किया जाता है, तो इससे अप्रार्थीगण को भी असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार या सहखातेदार दर्ज नहीं है यदि अप्रार्थीगण को जरिये आदेश अस्थाई तौर पर पाबंद किया जाता है, तो इससे अप्रार्थीगण को ऐसी क्षति होना संभाव्य है, जिसकी पूर्ति मुद्रा के रूप में संभव नहीं है। प्रार्थीगण का या अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात पर क्या स्वत्व प्राप्त है, या होने चाहिये? इसका विनिश्चय [illegible] पर सम्यक साक्ष्य तथा समुचित परीक्षण उपरान्त विधि अनुसार मैरिट पर होना है न कि स्थगन प्रार्थना पत्र के कथनानुसार पर। प्रकरण के उपरोक्त पर विचार किया गया प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 212 R.T. Act की शर्त पर खरा नहीं उतरता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उपरोक्त के आधार पर प्रा० पक्ष प्रार्थीगण पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर इन्द्राज के साथ [illegible] रहे। निर्णय आज दिनांक 30/9/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 30/09/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	